



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

### विधायी परिशिष्ट

भाग—1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 13 अक्टूबर, 1988

आश्विन 21, 1910 शक संवत्

उत्तर प्रदेश सरकार

विधायी अनुभाग-1

संख्या 1916/सत्रह-वि-1-1 (क) 13-1988

लखनऊ, 13 अक्टूबर, 1988

### अधिसूचना

#### विधि

“भारत का संविधान” के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) विधेयक, 1988 पर दिनांक 13 अक्टूबर, 1988 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1988 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 12 सन् 1988)

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ)

उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटीफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 और उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 का अप्रति संशोधन करने के लिए

#### अधिनियम

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अधिनियम, 1988 कहा जायगा।

(2) यह 24 जून, 1988 को प्रवृत्त हुआ समझा जायगा।

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 13  
सन् 1977 की  
धारा 2 का  
संशोधन

2--उत्तर प्रदेश म्युनिसिपैलिटी, नोटिफाइड एरिया और टाउन एरिया (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1977 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 2 में, जहाँ कहीं भी शब्द और अंक "30 जून, 1988" आये हों, उनके स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर 1988" रख दिये जायेंगे।

धारा 3 का  
संशोधन

3--मूल अधिनियम की धारा 3 में, शब्द और अंक "30 जून, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

उत्तर प्रदेश अधि-  
नियम संख्या 35  
सन् 1978 को  
धारा 24 का  
संशोधन

4--उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम, 1978 की धारा 24 में, शब्द और अंक "30 जून, 1988" के स्थान पर शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1988" रख दिये जायेंगे।

निरसन और  
अपवाद

5--(1) उत्तर प्रदेश नागर स्वायत्त शासन विधि (संशोधन) अध्यादेश, 1988 एतद्वारा निरस्त किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित धारा 2 और 4 में निर्दिष्ट अधिनियमों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित उक्त अधिनियमों के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध मन्त्री सारभूत समय पर प्रवृत्त थे।

आज्ञा से,  
श्रीनाथ सहाय,  
सचिव।

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या 8  
सन् 1988

No. 1916 (2) /XVII-V-1-1 (KA) 13-1988

Dated Lucknow, October 13, 1988

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Nagar Swayatta Shasan Vidhi (Sanshodhan) Adhinyam, 1988 (Uttar Pradesh Adhinyam Sankhya 12 of 1988) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on October 13, 1988.

THE UTTAR PRADESH URBAN LOCAL SELF-GOVERNMENT LAWS  
(AMENDMENT) ACT, 1988

(U.P. Act No. 12 of 1988)

[As passed by the U. P. Legislature]

AN  
ACT

further to amend the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhinyam, 1977 and the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978.

IT IS HEREBY enacted in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title and  
commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Act, 1988.

(2) It shall be deemed to have come into force on June 24, 1988.

Amendment of  
section 2 of U.P.  
Act no. 13 of  
1977

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Municipalities, Notified Areas and Town Areas (Alpakalik Vyavastha) Adhinyam, 1977, hereinafter referred to as the principal Act, for the word and figures "June 30, 1988" wherever occurring, the word and figures "December 31, 1988" shall be substituted.

Amendment of  
section 3

3. In section 3 of the principal Act, for the word and figures "June 30, 1988" the word and figures "December 31, 1988", shall be substituted.

4. In section 24 of the Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Third Amendment) Act, 1978, for the word and figures "June 30, 1988" the word and figures "December 31, 1988" shall be substituted.

Amendment of section 24 of U.P. Act no. 35 of 1978

U. P. Ordinance No. 8 of 1988

5. (1) The Uttar Pradesh Urban Local Self-Government Laws (Amendment) Ordinance, 1988, is hereby repealed.

Repeal and saving

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the Acts referred to in sections 2 and 4 as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1), shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the said Acts, as amended by this Act, as if the provisions of this Act were in force at all material times.

By order,  
S. N. SAHAY,  
Sachiv.

उत्तर प्रदेश  
अध्यादेश  
संख्या 8  
सन् 1988